"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 277] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 जुलाई 2018 — श्रावण 8, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-36/2018/वाक/पांच(55). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-

   (i) नियम 109क. के उप-नियम (1) के खण्ड (क) में शब्दों "आयुक्त (अपील)" के स्थान पर शब्दों "अपर आयुक्त (अपील)" तथा शब्दों "अपर या संयुक्त आयुक्त" के स्थान पर शब्दों "संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त" को प्रतिस्थापित किया जाए।

   (ii) नियम 109क. के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) में शब्दों "अपर आयुक्त (अपील)" के स्थान पर शब्दों "संयुक्त आयुक्त (अपील)" तथा शब्दों "उपायुक्त या सहायक आयुक्त" के स्थान पर शब्दों "सहायक आयुक्त या राज्य कर अधिकारी" को प्रतिस्थापित किया जाए।

   (iii) नियम 109क. के उप-नियम (2) के खण्ड (क) में शब्दों "आयुक्त (अपील)" के स्थान पर शब्दों "अपर आयुक्त (अपील)" तथा शब्दों "अपर या संयुक्त आयुक्त" के स्थान पर शब्दों "संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त" को प्रतिस्थापित किया जाए।

   (iv) नियम 109क. के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) में शब्दों "अपर आयुक्त (अपील)" के स्थान पर शब्दों "संयुक्त आयुक्त (अपील)" तथा शब्दों "उपायुक्त या सहायक आयुक्त" के स्थान पर शब्दों "सहायक आयुक्त या राज्य कर अधिकारी" को प्रतिस्थापित किया जाए।

2. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2018

क्रमांक एफ-10-36/2018/वाक/पांच(55). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-36/2018/वाक/पांच(55), दिनांक 23-07-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 23rd July 2018

NOTIFICATION

No. F-10-36/2018/CT/V (55). — In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, -

   (i) in rule 109A. of sub-rule (1) in part(a), for the words "Commissioner (Appeal)", the words " Additional Commissioner (Appeal)" and for the words "Additional or Joint Commissioner", the words "Joint Commissioner or Deputy Commissioner" shall be substituted;

   (ii) in rule 109A. of sub-rule (1) in part(b), for the words "Additional Commissioner (Appeal)", the words "Joint Commissioner (Appeal)" and for the words "Deputy Commissioner or Assistant Commissioner", the words "Assistant Commissioner or State Tax Officer" shall be substituted;

   (iii) in rule 109A. of sub-rule (2) in part(a), for the words "Commissioner (Appeal)", the words " Additional Commissioner (Appeal)" and for the words "Additional or Joint Commissioner", the words "Joint Commissioner or Deputy Commissioner" shall be substituted;

   (iv) in rule 109A. of sub-rule (2) in part(b), for the words "Additional Commissioner (Appeal)", the words "Joint Commissioner (Appeal)" and for the words "Deputy Commissioner or Assistant Commissioner", the words "Assistant Commissioner or State Tax Officer" shall be substituted.

2. This notification shall come into force from the date of issue.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.